UPAU010008122026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
पीठासीन अधिकारी– विकास गोस्वामी (एच 0 जे0 एस 0) JO Code UP 2393

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–302/2026

इंदल सिंह पुत्र बालक राम प्रजापति,
निवासी भैसोल, थाना फफूँद, जिला औरैया।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त।**

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... **अभियोजन पक्ष।**

विशेष सत्र वाद संख्या–902/2025
मुकदमा अपराध संख्या 126/2025
धारा– 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023
व धारा 3(1)द, ध, 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
थाना–फफूँद, जिला औरैया।

दिनांक 16.03.2026

01. अभियुक्त इंदल सिंह की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अभियुक्त विशेष सत्र वाद संख्या–902/2025, संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 126/2025, धारा– 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)द, ध, 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना–फफूँद, जिला औरैया से संबंधित है तथा न्यायिक अभिरक्षा में है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा दयावती ने इन तथ्यों से युक्त तहरीर थाना फफूँद में दिया कि मैं दयावती पत्नी ओमनारायण नि० सल्हूपुर थाना फफूद जि० औरैया की हूँ। मेरी जेठानी नीलम पत्नी स्व० पराशुराम व इन्दल सिंह s/o बालकराम प्रजापति नि० भैसोल थाना फफूंद औरैया के अवैध सम्बन्ध काफी समय से चल रहे है। इसी अवैध सम्बन्ध के कारण दिनाँक 25–4–2025 को समय करीब 8.30 बजे उक्त इन्दल सिंह मेरी छत पर होकर नीलम के घर के अन्दर कूद गया, जिस पर मैंने व मेरे पति ने उक्त इन्दल सिंह को अपनी छत पर चढने से मना किया तो इन्दल सिंह मुझे व मेरे पति को माँ बहन की गन्दी–2 गालियां देने लगा। मैंने गाली देने से मना किया तो इन्दल सिंह मारपीट करने लगा, जिससे मेरे पति

Digitally signed by VIKAS GOSWAMI
Date: 2026.03.16 15:02:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का सिर फट गया तथा शरीर में अन्य चोटें आयी। शोरगुल सुनकर गाँव के आते लोगो के देखकर इन्दल सिंह जान से मारने की धमकी देता हुआ कह रहा था कि सारे चामरे यादि मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो जान से मार देंगे। उक्त इन्दल सिंह की मोटर साईकिल मेरे घर के पास खड़ी रही थी, जो पुलिस द्वारा फफूंद थाने ले जाई गई है। मेरे पति को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था, अब मैं थाने आयी हूँ।

03. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है और उक्त अभियोग में गलत तथ्य दर्शाकर प्रार्थी को नामित किया गया है। वादिनी मुकदमा दयावती द्वारा घटना दिनांक 25.04.2025 की बताई गई है और दिनांक 26.04.2025 को एक दिन विलम्ब से एफ०आई०आर० अंकित कराया जाना घटना की सत्यता पर व एफ०आई०आर० की मंशा पर प्रश्नचिन्ह खडा करती है। वादिनी मुकदमा द्वारा बताया गया कि अभियुक्त इंदल नीलम के घर में कूद गया लेकिन विवेचक द्वारा विवेचना में नीलम का बयान अंकित न किया जाना दयावती द्वारा कही गई बातों का समर्थन नहीं करता है इसलिये घटना पूर्णता असत्य है और सत्यता को स्वीकार नहीं करती है। वादिनी दयावती तथा उसके पति के बयान धारा–161 सीआर०पी०सी० में कहीं भी जातिसूचक गाली, 'चमरा शब्द का प्रयोग होना उल्लेखित एवं रेखांकित अपने बयान में नहीं कराया गया है, इससे भी धारा एस०सी०एस०टी०एक्ट का अपराध होना नहीं पाया जाता है।" वादिनी मुकदमा के पति को जो चोटें मेडिकल प्रपत्र में दर्शायी गयी है वह सिम्पिल इननेचर है तथा चोट एक दिन पुरानी है इससे भी वादिनी द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और एफ०आई०आर० कीसत्यता को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो मेडिकल प्रपत्र में चोटें दर्शायी गयी है उन चोटों से मृत्यु कारित नहीं हो सकती है और न ही कोई चोटिल अस्पताल में भर्ती हुआ और न ही डिस्चार्ज हुआ इसलिये भी घटना पूर्णतया असत्य है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

04. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

05. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा पर धारा 15 ए की उपधारा 3 के अन्तर्गत जारी नोटिस तामील है।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया है तथा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया है।

07. पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अभियुक्त पर आरोपित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध के अतिरिक्त अन्य अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। अपराध सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था**

सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई० SLP (Cr. Appeal NO. 5190/2021) **निर्णीत दिनांकित** 11.07.2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त इंदल सिंह की तरफ से विशेष सत्र वाद संख्या–902/2025, संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 126/2025, धारा– 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)द, ध, 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना–फफूँद, जिला औरैया में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 302/2026 स्वीकार किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025: AHC: 136034 में पारित निर्णय दिनांकित 12.08.2025** में वर्णित निर्देशों के आलोक में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 16.03.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
JO Code UP 2393